

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-

खेतवासी, खेतवासी, खेतवासी

प्रकरण सं:- 86/2018

दिनांक:- 11/6/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1404

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पामला खूई व मू.अ.नि. पामला खूई

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम लूणा कला

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 11 में

वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि नारायण राम पुत्र खीमाराम के स्थान पर नारायण राम पुत्र

खीमाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1405-07

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री नारायण राम खीमाराम निवासी लूणा कला तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर, सिणधरी